

पंचायतों में गठित होगी निगरानी समिति

दो अक्टूबर से पहले होगा गठन, मनरेगा के कार्यों पर रखी जायेगी नजर

संवाददाता, पटना

मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता के लिए राज्य की सभी 8,437 ग्राम पंचायतों में दो अक्टूबर से पहले निगरानी समिति गठित होगी. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने डीडीसी व मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारियों को समिति का गठन हर हाल में समय पर कर लेने का स्पष्ट निर्देश दिया है. दो अक्टूबर को आयोजित होनेवाली ग्रामसभा में समिति के सदस्यों के नाम को पढ़ कर सुनाया जायेगा. पंचायत स्तर पर रिक्त मनरेगा कर्मियों के भी



कार्यशाला का शुभारंभ करते ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा.

सभी पद भर लिये जायेंगे.

मिलेंगे निःशुल्क पौधे

सोमवार को श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राज्यस्तरीय मनरेगा कार्यशाला में श्री मीणा ने कहा कि

पंचायत रोजगार सेवक व तकनीकी सहायक की नियुक्ति जिला स्तर, जबकि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंता की नियुक्ति विभागीय स्तर से होगी. अतिरिक्त कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी.

काम मांगने के कई विकल्प

जीविका के निदेशक अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मनरेगा के माध्यम से किसी परिवार को 100 दिन का काम दिया जाये, तो उस परिवार की सालाना आमदनी 16 हजार रुपये होगी. काम की मांग के लिए श्रमिकों को पंचायत रोजगार सेवक, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी केंद्र, ऑनलाइन सेवा, कार्यक्रम पदाधिकारी, बीडीओ कार्यालय जैसे कई विकल्प दिये गये हैं. इसके अलावा अगर ऐसे परिवारों को खयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण दिलाया जाये, तो वे साहूकारों के चक्कर में पड़ने से बच सकते हैं. कार्यशाला में मनरेगा आयुक्त मिहिर कुमार सिंह व अपर सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने भी मनरेगा की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी.

मनरेगा में पक्के कार्य भी कराये जायेंगे, ताकि यह न लगे कि इससे सिर्फ मिट्टी का ही कार्य होता है. उन्होंने कहा कि पक्के कार्यों में श्रम व सामग्री का अनुपात 60 : 40 का होना चाहिए. उपविकास आयुक्तों को कहा गया कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पंचायत में एक लाख से कम राशि उपलब्ध न रहे. उन्होंने कहा कि पंचायत में दो हजार पौधे लगाये जाने हैं. हर बीपीएल परिवार को 20-20 पौधे निःशुल्क दिये जायें हैं.

